NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 06-02-2026

विषय सूची

मेघालय में अवैध कोयला खदान विस्फोट

स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने हेतु 16वें वित्त आयोग (FC) की अनुशंसाएँ

भारत तथा खाड़ी सहयोग परिषद द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ शर्तों(terms of reference) पर हस्ताक्षर

व्यवसाय सुगमता(Ease of Doing Business): भारत का जारी नियामक रूपांतरण

संक्षिप्त समाचार

देवनीमोरी अवशेष

राज्यसभा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित

DGP नियुक्तियों में अनुपालन की कमी पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी

तदर्थ न्यायाधीश(Ad Hoc Judges)

फ्रंटियर नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण

विझिंजम बंदरगाह

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन

आपदा पीड़ितों की पहचान हेतु NDMA के प्रथम-बार जारी दिशानिर्देश

भारत GenAI

मेघालय में अवैध कोयला खदान विस्फोट

संदर्भ

- मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स में अवैध कोयला खदान विस्फोट में 18 श्रमिकों की मृत्यु हुई, जो नियामक प्रतिबंधों के बावजूद रैट-होल खनन की निरंतर प्रचलन को उजागर करता है।

रैट-होल कोयला खनन क्या है?

- अवैध कोयला खनन झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मेघालय के जयंतिया, खासी तथा

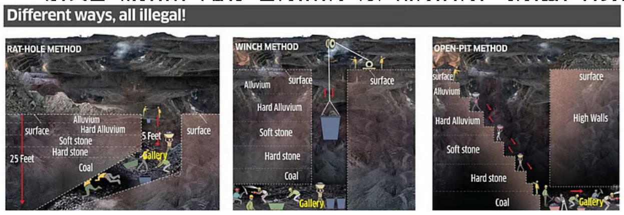

- रैट-होल खनन भूमिगत कोयला निकासी का एक पारंपरिक रूप है, जिसमें कोयला परतों में संकीर्ण क्षैतिज सुरंगें खोदी जाती हैं। श्रमिक इन सुरंगों में रेंगकर प्रवेश करते हैं और हाथ से कोयला निकालते हैं।
- **दो मुख्य प्रकार:**
    - **साइड-कटिंग खनन:** जिसमें पहाड़ी ढलानों में क्षैतिज सुरंगें खोदी जाती हैं।
    - **बॉक्स-कटिंग खनन:** जिसमें पहले एक ऊर्ध्वाधर कुआँ खोदा जाता है और फिर क्षैतिज सुरंगें बनाई जाती हैं।

भारत में रैट-होल खनन की निरंतरता के कारण

- **जीविका निर्भरता और विकल्पों की कमी:** रैट-होल खनन ने ऐतिहासिक रूप से मेघालय में हजारों लोगों की आजीविका का समर्थन किया है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ वैकल्पिक रोजगार के अवसर सीमित हैं।
    - इस विधि से निकाला गया कोयला पास के उद्योगों, जैसे सीमेंट संयंत्र और ईंट भट्टों को आपूर्ति किया गया है, जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को योगदान मिला है।
- **परंपरागत भूमि स्वामित्व:** मेघालय भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत संचालित होता है, जो जनजातीय समुदायों को भूमि और खनिजों पर परंपरागत अधिकार प्रदान करता है।
    - कई स्थानीय भू-स्वामी ऐतिहासिक रूप से रैट-होल खनन को अवैध नहीं मानते थे, क्योंकि यह निजी या कबीलाई भूमि पर होता था।
- **कमज़ोर प्रवर्तन और शासन घाटे:** दूरस्थ खनन क्षेत्रों में सीमित राज्य उपस्थिति, नियामक एजेंसियों में कर्मचारियों की कमी और कमजोर निगरानी अवैध खनन को बड़े पैमाने पर बिना नियंत्रण जारी रहने देती है।
- **राजनीतिक अर्थव्यवस्था और अभिजात्य हित:** कोयला निकासी नेटवर्क में खदान मालिक, परिवहनकर्ता, ठेकेदार और राजनीतिक मध्यस्थ शामिल होते हैं, जिन्हें निरंतर संचालन से आर्थिक लाभ मिलता है।
    - ये अभिनेता प्रायः राज्य संस्थाओं पर दबाव डालते हैं ताकि नियामक कार्रवाई को कमजोर या विलंबित किया जा सके।
- **भूवैज्ञानिक और आर्थिक बाधाएँ:** मेघालय की कोयला परतें पतली, उथली और असतत हैं, जिससे बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत खनन तकनीकी एवं आर्थिक रूप से आकर्षक नहीं है।
    - इन परिस्थितियों में रैट-होल खनन सबसे सस्ता एवं व्यवहार्य तरीका बना रहता है।

मुख्य चिंताएँ एवं मुद्दे

- **श्रमिक सुरक्षा एवं श्रम शोषण:** वेंटिलेशन की कमी, बाढ़, धंसाव और विस्फोट का जोखिम अवैध खदानों को अत्यंत खतरनाक बनाता है।
    - प्रवासी और गरीब श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जो प्रायः बिना अनुबंध या कानूनी संरक्षण के कार्य करते हैं।
- **पर्यावरणीय क्षति:** अवैध खनन से वनों की कटाई, जल प्रदूषण, भूमि धंसाव और दीर्घकालिक पारिस्थितिक हानि होती है।
    - अम्लीय खदान जल निकासी (AMD) नदियों और धाराओं को प्रदूषित करती है, जिससे pH स्तर अत्यधिक घट जाता है और जल निकाय जैविक रूप से मृत हो जाते हैं।
    - अनियंत्रित खुदाई से वनों की कटाई, मृदा अपरदन और परिदृश्य अस्थिरता होती है, विशेषकर मेघालय की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहाड़ियों में।

- **राजस्व हानि:** सरकार को महत्वपूर्ण रॉयल्टी और करों की हानि होती है, जिससे सार्वजनिक वित्त प्रभावित होता है।
- **बाल श्रम और मानवाधिकार उल्लंघन:** बच्चों को ऐतिहासिक रूप से संकीर्ण सुरंगों में कार्य करने के लिए नियोजित किया गया है, जो भारतीय बाल श्रम कानूनों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।
  - अनौपचारिक रोजगार संरचनाएँ श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी संसाधनों से वंचित करती हैं।
- **कानूनी अनुपालन की कमी और नियामक विफलता:** अधिकांश संचालन में पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे और सुरक्षा अनुमोदन का अभाव है, जो भारतीय कानून के अंतर्गत अनिवार्य हैं।
  - 2014 के NGT प्रतिबंध के बावजूद परंपरागत जनजातीय शासन और वैधानिक खनन कानूनों के बीच अधिकार क्षेत्रीय संघर्ष के कारण प्रवर्तन कमजोर बना रहता है।
  - अनिवार्य EIA की अनुपस्थिति अनियंत्रित पर्यावरणीय क्षति में वृद्धि करती है।
- **शासन अंतराल और संस्थागत कमजोरी:** दूरस्थ भू-भाग, सीमित प्रशासनिक क्षमता और अपर्याप्त निगरानी अवैध खनन को जारी रहने देती है।
- राजनीतिक संरक्षण नेटवर्क खदान मालिकों और व्यापारियों को अभियोजन से बचाते हैं।
- राज्य और केंद्र एजेंसियों के बीच खंडित संस्थागत जिम्मेदारी जवाबदेही को कमजोर करती है।
  - **नैतिक एवं पीढ़ीगत चिंताएँ:** रैट-होल खनन पर्यावरण और स्वास्थ्य लागतों को भविष्य की पीढ़ियों पर स्थानांतरित करता है, जबकि दीर्घकालिक आर्थिक लाभ सीमित प्रदान करता है।
    - संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र का निरंतर क्षरण जैव विविधता और क्षेत्रीय जलवायु लचीलापन को खतरे में डालता है।

भारत में खनन से संबंधित वर्तमान कानून एवं विनियम

- **खनिज अधिनियम, 1957:** यह भारत में खनिजों के खनन को नियंत्रित करता है, जिसमें उनका अन्वेषण, निकासी और प्रबंधन शामिल है।
  - अवैध खनन, जैसे रैट-होल खनन, इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिससे दंड और कानूनी कार्रवाई होती है।
- **कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973:** खनन गतिविधियों को सरकार और अधिकृत संस्थाओं तक सीमित करता है।
  - रैट-होल खनन प्रायः इस ढाँचे से बाहर और अनियमित रूप से किया जाता है, जिससे यह अवैध बनता है।
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (EPA):** खनन गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक करता है।
  - रैट-होल खनन इन विनियमों को दरकिनार करता है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय क्षति होती है।
- **मेघालय खनिज नीति, 2012:** राज्य में खनन प्रथाओं को विनियमित करने हेतु लागू की गई थी। किंतु प्रवर्तन कमजोर रहा है और रैट-होल खनन अवैध रूप से जारी है।

नीतिगत प्रयास एवं पहल

- सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने रैट-होल खनन जैसी असुरक्षित खनन प्रथाओं पर प्रतिबंध या प्रतिबंधात्मक उपाय लगाए हैं।
- राज्य सरकारें समय-समय पर अवैध खदानों को बंद करने हेतु अभियान और टास्क फोर्स चलाती हैं।
- कोयला क्षेत्र में सुधार, जिसमें वाणिज्यिक कोयला खनन और पारदर्शी नीलामी शामिल हैं, अवैध निकासी के प्रोत्साहनों को कम करने का लक्ष्य रखते हैं।
- पर्यावरणीय स्वीकृति मानदंड और खदान सुरक्षा विनियम मौजूद हैं, किंतु कार्यान्वयन में अंतराल बने हुए हैं।

आगे की राह)

- खनन कानूनों का सख्त और निरंतर प्रवर्तन, तथा अवैध संचालन को सक्षम बनाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- अवैध खनन पर निर्भर समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका और कौशल विकास की व्यवस्था।
- अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने और निगरानी हेतु प्रौद्योगिकी (उपग्रह चित्रण, ड्रोन) का उपयोग।

NEXT IAS

- श्रमिक पुनर्वास, क्षतिपूर्ति तंत्र और पर्यावरणीय पुनर्स्थापन को सुदृढ़ करना।
- सतत एवं वैध खनन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्य एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन और समुदायों के बीच बेहतर समन्वय।

Source: TH

स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने हेतु 16वें वित्त आयोग (FC) की अनुशंसाएँ

संदर्भ

- अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को ₹7,91,493 करोड़ की अनुदान राशि की सिफ़ारिश की है, साथ ही स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने हेतु संरचनात्मक सुधारों का प्रस्ताव दिया है।

वित्त आयोग क्या है?

- वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित किया जाता है। इसका कार्य यह सिफ़ारिश करना है कि केंद्र सरकार द्वारा संकलित कर राजस्व को केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार वितरित किया जाए।
- वित्त आयोग का पुनर्गठन प्रत्येक पाँच वर्ष में किया जाता है और सामान्यत: इसे अपनी सिफ़ारिशें केंद्र को प्रस्तुत करने में कुछ वर्ष लगते हैं।
- केंद्र सरकार वित्त आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।

कर अपवर्तन

- वित्त आयोग यह तय करता है कि केंद्र के शुद्ध कर राजस्व का कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा (ऊर्ध्वाधर अपवर्तन) और यह हिस्सा विभिन्न राज्यों के बीच किस प्रकार वितरित होगा (क्षैतिज अपवर्तन)।
- क्षैतिज अपवर्तन सामान्यत: आयोग द्वारा निर्मित एक सूत्र पर आधारित होता है, जिसमें राज्य की जनसंख्या, प्रजनन स्तर, आय स्तर, भौगोलिक स्थिति आदि को ध्यान में रखा जाता है।
- केंद्र सरकार राज्यों को अतिरिक्त अनुदान भी प्रदान करती है, विशेषकर उन योजनाओं के लिए जो केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित होती हैं।

स्थानीय निकायों के वित्तपोषण में चुनौतियाँ

- **कम स्व-राजस्व:** स्थानीय निकायों का राजस्व जीडीपी का केवल लगभग 0.4% है, जो वैश्विक मानकों की तुलना में अत्यंत कम है। संपत्ति कर संग्रहण अक्षम और कम आंका गया है।
- **अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता:** अधिकांश स्थानीय निकाय केंद्र और राज्यों से प्राप्त हस्तांतरणों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं, जिससे वित्तीय स्वायत्तता एवं दीर्घकालिक नियोजन क्षमता सीमित हो जाती है।
- **अनियमित राज्य वित्त आयोग:** कई राज्य समय पर राज्य वित्त आयोग (SFCs) का गठन करने में विफल रहते हैं, जिससे पूर्वानुमेय राजकोषीय अपवर्तन बाधित होता है और स्थानीय शासन कमजोर होता है।
- **क्षमता संबंधी बाधाएँ:** सीमित प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता बजट निर्माण, वित्तीय प्रबंधन एवं निधियों के कुशल उपयोग को प्रभावित करती है।

स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने हेतु प्रमुख अनुशंसाएँ

- **वित्तीय आवंटन:** 2026–31 की अवधि के लिए ₹7,91,493 करोड़ का आवंटन।
  - **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** अनुदान को ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बीच 60:40 अनुपात में विभाजित किया गया है।
- **अनिवार्य प्रारंभिक शर्तें:** अनुदान केवल तभी जारी किए जाएँगे जब राज्य तीन महत्वपूर्ण शासन मानदंडों को पूरा करें:
  - **संवैधानिक अनुपालन:** स्थानीय निकायों का विधिवत गठन।
  - **वित्तीय पारदर्शिता:** अस्थायी और लेखा-परीक्षित खातों का समय पर सार्वजनिक प्रकटीकरण।
  - राज्य वित्त आयोगों (SFCs) का समय पर गठन।
- शहरीकरण एवं अवसंरचना सुधार:
  - **शहरीकरण प्रीमियम:** ₹10,000 करोड़ का एकमुश्त अनुदान, जिससे राज्यों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अर्ध-शहरी गाँवों को बड़े ULBs (जनसंख्या >1 लाख) में विलय करें और ग्रामीण-से-शहरी संक्रमण नीति तैयार करें।

- **विशेष अवसंरचना घटक:** 10–40 लाख जनसंख्या वाले शहरों में अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु ₹56,100 करोड़ का आवंटन।

आगे की राह

- स्थानीय निकायों को अपनी राजस्व आधार का विस्तार करने के लिए संपत्ति कर का युक्तिकरण, GIS-आधारित बेहतर मूल्यांकन और उपयोगकर्ता शुल्क वसूली में सुधार के माध्यम से सशक्त किया जाना चाहिए।
- राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशों का गठन और क्रियान्वयन समयबद्ध एवं नियम-आधारित होना चाहिए।
- समर्पित नगरपालिका कैडर और सतत क्षमता-विकास कार्यक्रमों का संस्थानीकरण किया जाना चाहिए।
- डिजिटल लेखा प्रणाली, वास्तविक समय लेखा-परीक्षण और सार्वजनिक प्रकटीकरण पोर्टलों का राज्यों में मानकीकरण किया जाना चाहिए।

Source: DTE

भारत तथा खाड़ी सहयोग परिषद द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ शर्तों(terms of reference) पर हस्ताक्षर

संदर्भ

- भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) हेतु संदर्भ शर्तों (Terms of Reference) पर हस्ताक्षर किए हैं।

परिचय

- संदर्भ शर्तें (ToR) प्रस्तावित व्यापार समझौते के दायरे और प्रक्रियाओं को रेखांकित करती हैं।
  - यह समझौते के दायरे को परिभाषित करती है, जिसमें वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, निवेश और अन्य व्यापार-संबंधी मुद्दे शामिल हैं।
  - वार्ताओं की संरचना और समयसीमा निर्धारित करती है।
  - शुल्क कटौती की प्रक्रियाएँ और विवाद निपटान तंत्र निर्दिष्ट करती है।
  - तकनीकी मानकों, मूल नियमों (Rules of Origin), सीमा शुल्क सहयोग और व्यापार सुविधा उपायों पर स्पष्टता प्रदान करती है।

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के बारे में

- GCC एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी।
- इसमें छह सदस्य देश शामिल हैं: सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, क़तर, बहरीन एवं ओमान।
- इसका मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में स्थित है।
- इसका उद्देश्य समान लक्ष्यों और राजनीतिक-सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अपने सदस्यों के बीच एकता स्थापित करना है, जो अरब एवं इस्लामी संस्कृति में निहित है।

भारत के लिए GCC का महत्व

- GCC देश सामूहिक रूप से 61.5 मिलियन लोगों (2024) का बाज़ार और वर्तमान मूल्यों पर US$ 2.3 ट्रिलियन का GDP दर्शाते हैं, जो इस श्रेणी में वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर है।
  - यहाँ पर लगभग एक करोड़ भारतीय समुदाय के सदस्य निवास करते हैं।
- भारत और GCC के बीच मुक्त व्यापार समझौता भारत के खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना, पेट्रोकेमिकल और ICT क्षेत्रों को लाभ पहुँचाएगा, जिससे दोनों पक्षों के संबंध नई ऊँचाइयों पर पहुँचेंगे।

भारत–GCC व्यापार सहयोग

- FY 2024-25 में भारत का GCC के साथ व्यापार USD 178.56 बिलियन रहा (निर्यात: USD 56.87 बिलियन; आयात: USD 121.68 बिलियन), जो भारत के वैश्विक व्यापार का 15.42% है।

- विगत पाँच वर्षों में भारत का GCC के साथ व्यापार औसतन 15.3% वार्षिक वृद्धि दर से विस्तारित हुआ है।
- भारत से GCC को प्रमुख निर्यात में इंजीनियरिंग वस्तुएँ, चावल, वस्त्र, मशीनरी, रत्न और आभूषण शामिल हैं।
- GCC से भारत में प्रमुख आयात क्षेत्रों में कच्चा तेल, LNG, पेट्रोकेमिकल और सोना जैसे बहुमूल्य धातु शामिल हैं।
- GCC क्षेत्र भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है, जिसकी संचयी निवेश राशि सितंबर 2025 तक USD 31.14 बिलियन से अधिक रही है।

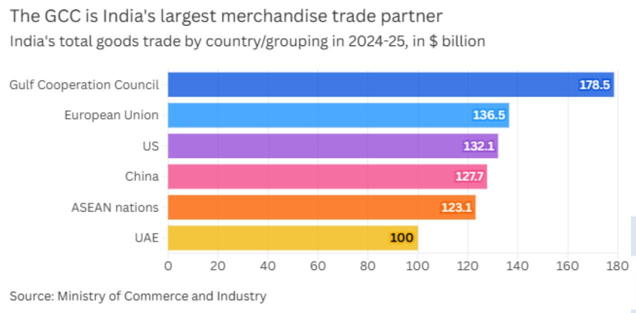

भारत–GCC मुक्त व्यापार समझौते की चुनौतियाँ

- **स्थायी व्यापार घाटा:** भारत GCC के साथ बड़े और संरचनात्मक व्यापार घाटे का सामना करता है, जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल, LNG एवं सोने का भारी आयात है। शुल्क कटौती के बावजूद ऊर्जा आयात व्यापार प्रवाह पर प्रभुत्वशाली रहेंगे।
- **सीमित निर्यात विविधीकरण:** भारत का GCC को निर्यात अभी भी कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है।
  - **बढ़ती प्रतिस्पर्धा:** कई GCC देश सऊदी विज़न 2030 जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत विनिर्माण और सेवाओं में विविधीकरण कर रहे हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।
- **भारतीय MSMEs के लिए प्रतिस्पर्धा:** व्यापार उदारीकरण भारत के MSMEs और छोटे निर्माताओं को दुबई जैसे खाड़ी-आधारित पुनः-निर्यात केंद्रों से प्रतिस्पर्धा के लिए उजागर करेगा।

आगे की राह

- भारत को संतुलित शुल्क रियायतों पर चरणबद्ध कटौती के साथ वार्ता करनी चाहिए।
- व्यापार परिहार को रोकने हेतु सुदृढ़ मूल नियम (Rules of Origin) शामिल किए जाने चाहिए।
- निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को निम्न उपायों से बढ़ाना चाहिए:
  - लॉजिस्टिक्स सुधार
  - गुणवत्ता मानकीकरण
  - उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन
- रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी में केवल कच्चे तेल आयात ही नहीं, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और पेट्रोकेमिकल मूल्य श्रृंखलाओं में सहयोग भी शामिल होना चाहिए।

Source: TH

व्यवसाय सुगमता(Ease of Doing Business): भारत का जारी नियामक रूपांतरण

संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2026-27 ने व्यवसाय सुगमता को विकास और प्रगति का स्तंभ पुनः स्थापित किया है, जिसमें डिजिटलीकरण, कर सुनिश्चितता, निवेशक पहुँच और वाद-विवाद में कमी पर विशेष ध्यान दिया गया है।

व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business - EoDB)

- यह भारत के आर्थिक सुधार एजेंडा का आधारस्तंभ बनकर उभरा है और इसे विकास एवं प्रगति का प्रमुख स्तंभ पुनः पुष्टि किया गया है।
- केंद्रीय बजट 2026-27 का ध्यान डिजिटल व्यापार सुविधा, कर सुनिश्चितता, अनुपालन और वाद-विवाद में कमी, विश्वास-आधारित सीमा शुल्क प्रणाली तथा निवेश-अनुकूल कर व्यवस्था पर केंद्रित है।
- ये उपाय विगत दशक में किए गए सतत् नियामक और संस्थागत सुधारों पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और अनुपालन भार कम करना है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों का विश्वास बेहतर हुआ है।

प्रगति

- 2014–25 के दौरान भारत ने USD 748.38 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया, जो विगत 11 वर्षों की तुलना में 143% की वृद्धि है।
- सक्रिय पंजीकृत कंपनियों की संख्या 2020–21 में 1.55 लाख से बढ़कर 2025–26 में 1.98 लाख हो गई, जो पाँच वर्षों में लगभग 27% की वृद्धि दर्शाती है।
- विकसित भारत @2047 दृष्टि के अनुरूप जारी व्यवसाय सुगमता सुधार वैश्विक मूल्य श्रृंखला संबंधों को सुदृढ़ करने और उद्योग-प्रेरित विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण बने रहेंगे।

बजट का फोकस

- बजट ने भारत के EoDB एजेंडा को कर सुनिश्चितता बढ़ाने, अनुपालन भार घटाने और विश्वास-आधारित शासन को प्रोत्साहित करने वाले उपायों के माध्यम से सुदृढ़ किया है।
- मुख्य सुधारों में MAT का युक्तिकरण, विवाद समाधान का सरलीकरण और छोटे प्रक्रियात्मक अपराधों का अपराधमुक्तिकरण शामिल है।
- बजट ने डिजिटल एकीकरण और जोखिम-आधारित स्वीकृति के माध्यम से सीमा शुल्क और लॉजिस्टिक्स सुधारों को भी आगे बढ़ाया है, जिससे लेन-देन लागत कम हो तथा व्यापार दक्षता में वृद्धि हो।

महत्व

- व्यवसाय-अनुकूल वातावरण आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करता है, उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है और भारत की भूमिका को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में सुदृढ़ करता है।
- यह स्टार्टअप्स और MSMEs को आसानी से विस्तार करने में सक्षम बनाकर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, वैश्विक रैंकिंग सुधारता है और "मेक इन इंडिया" तथा "डिजिटल इंडिया" जैसी पहलों को समर्थन प्रदान करता है।

चुनौतियाँ

- भूमि अधिग्रहण, अनुबंध प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रियाओं में कार्यान्वयन अंतराल बने हुए हैं।
- राज्यों और विभागीय नियमों के ओवरलैप के कारण नियामक जटिलता अनिश्चितता उत्पन्न करती है।
- लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और शहरी सेवाओं में अवसंरचना बाधाएँ व्यापार लागत बढ़ाती हैं।
- कराधान और अनुपालन भार, जिसमें बार-बार नियम परिवर्तन शामिल हैं, निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करते हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम

- सरकार ने व्यापार, निवेश, कर और नियामक सुधारों की व्यापक श्रृंखला लागू की है ताकि व्यवसाय सुगमता में सुधार हो तथा वैश्विक निवेश आकर्षित किया जा सके।
- प्रमुख व्यापार सुविधा उपायों में माल निकासी हेतु एकल डिजिटल विंडो, कम जोखिम वाले माल की त्वरित सीमा शुल्क निकासी, सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली (CIS) का कार्यान्वयन और बंदरगाहों पर AI-आधारित गैर-हस्तक्षेप स्कैनिंग का विस्तारित उपयोग शामिल है।
- निवेश सुधारों ने भारत में सूचीबद्ध कंपनियों में विदेशी निवासियों (PROIs) को अधिक निवेश की अनुमति दी है और कुल निवेश सीमा बढ़ाई है।
- MAT का युक्तिकरण गैर-निवासियों के लिए छूट, कम दरें, अंतिम कर उपचार, बायबैक पर पूंजीगत लाभ-आधारित कराधान और लचीले MAT क्रेडिट उपयोग के माध्यम से किया गया है।
- दंड और अभियोजन व्यवस्था को एकीकृत मूल्यांकन, कम पूर्व-आवश्यक जमा, विस्तारित प्रतिरक्षा प्रावधान, छोटे अपराधों का अपराधमुक्तिकरण, क्रमबद्ध अभियोजन और छोटे विदेशी परिसंपत्ति धारकों के लिए पूर्वव्यापी प्रतिरक्षा के माध्यम से सरल बनाया गया है।
- व्यापक सुधारों का ध्यान स्वीकृति से अनुपालन की ओर स्थानांतरित करने पर है, जिसे "जन विश्वास अधिनियमों" के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अपराधमुक्तिकरण और पर्यावरण एवं वन कानूनों में संशोधनों द्वारा समर्थन मिला है।
- राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली (NSWS) एक प्रमुख डिजिटल सुधार के रूप में उभरी है, जो केंद्र और राज्य सरकारों की स्वीकृतियों को एकीकृत करती है।
- सरकार ने पारदर्शिता सुधारने, नियमों को सरल बनाने और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सेवा वितरण

को बेहतर बनाने हेतु "व्यवसाय सुधार कार्य योजना" (BRAP) लागू की है।

- अन्य नियामक उपायों में RBI द्वारा 9,000 से अधिक परिपत्रों का 238 मास्टर निर्देशों में समेकन शामिल है, जिससे अनुपालन भार में उल्लेखनीय कमी आई है।
- "सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025" ने बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी है, मध्यस्थों के लिए पंजीकरण को सरल बनाया है, शेयर हस्तांतरण मानदंडों को आसान किया है, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए पूंजी आवश्यकताओं को कम किया है और बीमा प्रसार में सुधार किया है।
- श्रम सुधारों के अंतर्गत 29 कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित किया गया है, जिससे अनुपालन सरल हुआ है, अनुमोदन समयसीमा कम हुई है, परिचालन लचीलापन बढ़ा है, पंजीकरण और रिटर्न डिजिटलीकृत हुए हैं, छोटे अपराधों का अपराधमुक्तिकरण हुआ है और छंटनी एवं बंदी के लिए सीमा बढ़ाई गई है।
- सितंबर 2025 में लागू GST 2.0 सुधारों ने कर स्लैब सरल किए हैं, दरें घटाई हैं, उल्टे शुल्क संरचनाओं को सुधारा है, अनुपालन लागत कम की है और कर आधार को 1.5 करोड़ से अधिक पंजीकृत करदाताओं तक विस्तारित किया है, जिससे औपचारिकता और उद्यमिता को समर्थन मिला है।

निष्कर्ष

- भारत का व्यवसाय सुगमता ढाँचा नियामक सरलीकरण, डिजिटलीकरण और विश्वास-आधारित शासन के संयोजन के माध्यम से निरंतर विकसित हो रहा है।
- केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रस्ताव, कराधान, श्रम, वित्त और विनियमन में जारी सुधारों के साथ मिलकर अनुपालन भार कम करने और व्यवसायों के लिए पूर्वानुमेयता सुधारने की सतत प्रतिबद्धता का संकेत देते हैं।
- निवेश प्रवाह, उद्यम वृद्धि और औपचारिकता में सुदृढ़ प्रवृत्तियाँ विगत दशक में निर्मित व्यापक सुधार गति को दर्शाती हैं।
- ये सभी पहलें मिलकर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करती हैं और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

Source :PIB

संक्षिप्त समाचार

देवनीमोरी अवशेष

समाचार में

- पवित्र देवनीमोरी अवशेषों का प्रदर्शन हाल ही में गंगारामाया मंदिर में उद्घाटित किया गया, जो भारत–श्रीलंका बौद्ध संबंधों में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक घटना को दर्शाता है।

देवनीमोरी अवशेषों के बारे में

- **स्थान:** देवनीमोरी गुजरात के अरावली ज़िले में श्यामलाजी के निकट स्थित एक बौद्ध पुरातात्विक स्थल है।
- **खोज एवं उत्खनन:** इसका प्रथम अन्वेषण 1957 में पुरातत्वविद् प्रो. एस. एन. चौधरी द्वारा किया गया।
  - उत्खनन में प्रारंभिक बौद्ध पूजा और मठवासी परंपराओं के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले।
- **मुख्य पुरातात्विक खोजें:** शारीर स्तूप, जो विशेष रूप से गौतम बुद्ध या प्रमुख भिक्षुओं के शारीरिक अवशेष (शरीर) को स्थापित करने हेतु निर्मित था।
  - अवशेष पात्र जिनमें पवित्र राख, तांबे का डिब्बा, स्वर्ण और रजत पत्र सम्मिलित थे।
- **कालक्रम:** इसे तीसरी–चौथी शताब्दी ईस्वी का माना गया है, जो उत्तर-मौर्य / प्रारंभिक गुप्त काल से संबंधित है।

स्रोत: TH

राज्यसभा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित

संदर्भ

- राज्यसभा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन के लिए धन्यवाद प्रस्ताव को पारित किया।

धन्यवाद प्रस्ताव

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से "विशेष संबोधन" देने का प्रावधान करता है।

- इस संबोधन में राष्ट्रपति सरकार की पूर्ववर्ती वर्ष की नीतियों एवं कार्यक्रमों तथा आगामी वर्ष की योजनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं।
- राष्ट्रपति का यह संबोधन ब्रिटेन में 'स्पीच फ्रॉम द थ्रोन' के समकक्ष है, जिस पर संसद के दोनों सदनों में 'धन्यवाद प्रस्ताव' के रूप में चर्चा की जाती है।
- चर्चा के अंत में प्रस्ताव को मतदान हेतु प्रस्तुत किया जाता है और सदन में पारित होना आवश्यक है। अन्यथा, यह सरकार की पराजय के समान माना जाता है।

स्रोत: TH

DGP नियुक्तियों में अनुपालन की कमी पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों द्वारा अपनी पसंद के "कार्यवाहक" पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति पर चिंता व्यक्त की है, जबकि नियमित पुलिस महानिदेशक (DGP) को निश्चित कार्यकाल के साथ नियुक्त किया जाना चाहिए। यह 2006 के *प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ* मामले में दिए गए निर्णय का उल्लंघन माना गया है।

NEXT IAS

डीजीपी नियुक्ति पर प्रमुख निर्देश

- डीजीपी का चयन संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पैनल में शामिल तीन वरिष्ठतम और योग्य अधिकारियों में से किया जाना चाहिए।
- डीजीपी को न्यूनतम दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल दिया जाना चाहिए, चाहे सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो।
  - "कार्यवाहक डीजीपी" की अवधारणा को न्यायालय ने अस्वीकार किया था।
- उद्देश्य यह था कि डीजीपी का पद राजनीतिक या बाहरी दबावों से मुक्त रहे।

संवैधानिक एवं शासन संबंधी मुद्दे

- **संघीय चिंताएँ:** पुलिस सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (प्रविष्टि 2) के अंतर्गत राज्य विषय है। तथापि, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुच्छेद 141 और 142 के अंतर्गत बाध्यकारी हैं।
  - यह मुद्दा संघीय स्वायत्तता और न्यायालय द्वारा अनिवार्य सुधारों के बीच तनाव को उजागर करता है।
- **कानून का शासन एवं पुलिस स्वतंत्रता:** बार-बार की गई अस्थायी नियुक्तियाँ संस्थागत स्वायत्तता को कमजोर करती हैं।
- निश्चित कार्यकाल का अभाव जवाबदेही और पेशेवर पुलिसिंग को कमजोर करता है।
- नियुक्तियों में राजनीतिक प्रभाव निष्पक्ष कानून प्रवर्तन को प्रभावित कर सकता है।

स्रोत: TH

तदर्थ न्यायाधीश(Ad Hoc Judges)

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पाँच पूर्व न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति दी है।

तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224A सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करता है, ताकि लंबित मामलों और न्यायिक रिक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके। हालांकि, इस प्रावधान का प्रयोग बहुत कम हुआ है।
- तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सीमित अवधि के लिए की जाती है, सामान्यतः दो से तीन वर्षों तक, और उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करती, चाहे उन्हें मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति क्यों न दी जाए।
- यह तंत्र नई न्यायिक नियुक्तियों की तुलना में अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए पृष्ठभूमि सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती, जिन्होंने पहले ही न्यायपीठ पर सेवा दी है।
- तदर्थ न्यायाधीश स्थायी उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के समान न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं और उन्हें वेतन एवं भत्ते भी समान मिलते हैं, परंतु पेंशन लाभ शामिल नहीं होते।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

- यदि किसी उच्च न्यायालय में उसकी स्वीकृत शक्ति का 20% से अधिक रिक्तियाँ हों।

- यदि उच्च न्यायालय के 10% से अधिक मामले पाँच वर्षों से लंबित हों।
- यदि मामलों के निपटान की दर, मामलों के संस्थापन की दर से कम हो ('केस क्लियरेंस रेट')।

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।

स्रोत: IE

फ्रंटियर नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण

समाचार में

- भारत सरकार, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन (ENPO) के प्रतिनिधियों ने फ्रंटियर नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण (FNTA) के गठन हेतु एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

फ्रंटियर नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण के बारे में

- FNTA छह ज़िलों—तुएनसांग, मोन, किफ़िरे, लोंगलेन्ग, नोकलाक और शमाटोर को कवर करेगा, जहाँ ENPO द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए आठ प्रमुख नागा जनजातियाँ निवास करती हैं।
- समझौता FNTA को 46 विषयों पर शक्तियों के हस्तांतरण का प्रावधान करता है, जिससे प्रशासनिक और विकासात्मक स्वायत्तता बढ़ेगी।
- प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए एक मिनी-सचिवालय स्थापित किया जाएगा, जिसका नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- FNTA का उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास, वित्तीय स्वायत्तता और ऐतिहासिक रूप से अविकसित क्षेत्र में सहभागी निर्णय-निर्माण को बढ़ावा देना है।
- हालांकि, यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 371(A) को कमजोर नहीं करती, जो नागा परंपरागत प्रथाओं, भूमि अधिकारों और सामाजिक संस्थाओं की रक्षा करता है।

स्रोत: TH

विझिंजम बंदरगाह

समाचार में

- केरल का विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह वैश्विक स्तर पर कंटेनर हैंडलिंग में 83वें स्थान पर पहुँच गया है, जो भारत के नवीनतम गहरे जल ट्रांस-शिपमेंट हब के तीव्र विस्तार को दर्शाता है।

विझिंजम बंदरगाह के बारे में

- विझिंजम बंदरगाह केरल में तिरुवनंतपुरम के निकट एक सामरिक समुद्री परियोजना है।
- यह विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक के निकट सामरिक रूप से स्थित है।
- इसमें लगभग 20 मीटर की प्राकृतिक गहराई है, जिससे यह विश्व के सबसे बड़े मालवाहक जहाज़ों को समायोजित कर सकता है।
- इससे भारत की विदेशी बंदरगाहों पर ट्रांस-शिपमेंट के लिए निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है, जो पहले 75% संचालन के लिए जिम्मेदार थी। इससे देश के अंदर राजस्व सुरक्षित रहेगा और केरल तथा उसके लोगों के लिए नए आर्थिक अवसर उत्पन्न होंगे।
- यह क्षेत्रीय व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने जा रहा है और दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य पूर्व एवं अफ्रीका के बीच वाणिज्य के लिए एक द्वार के रूप में कार्य कर सकता है।

स्रोत: Air

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन

संदर्भ

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) को वर्ष 2030 में डी-ऑर्बिट करने की योजना है, जो अंतरिक्ष में लगभग तीन दशकों की सतत् मानव उपस्थिति का अंत होगा।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) एक मॉड्यूलर, रहने योग्य, सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण प्रयोगशाला है, जो पृथ्वी से 400 किमी ऊपर निम्न पृथ्वी कक्षा में परिक्रमा करता है।
- इसे 1998 में प्रक्षेपित किया गया था और 2000 से लगातार मानव निवासित है, जिससे यह इतिहास के सबसे लंबे मानव अंतरिक्ष अभियानों में से एक बन गया है।
- इसका संचालन पाँच प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा सहयोगात्मक रूप से किया जाता है: नासा (संयुक्त

राज्य अमेरिका), रोसकॉसमॉस (रूस), ईएसए (यूरोप), जेएएक्सा (जापान) और सीएसए (कनाडा)।

- मुख्य विशेषताएँ :
  - यह अंतरिक्ष में मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा ढाँचा है, जिसका भार 400,000 किलोग्राम से अधिक और लंबाई लगभग 109 मीटर है।
  - ऊर्जा आपूर्ति सौर पैनलों द्वारा होती है, जो दर्जनों किलोवाट विद्युत उत्पन्न करते हैं।
- ISS दीर्घकालिक अंतरिक्ष विकिरण और सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण के मानव शरीर पर प्रभावों का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे वैज्ञानिकों को अस्थि क्षय, मांसपेशियों के क्षरण और प्रतिरक्षा प्रणाली में परिवर्तन समझने में सहायता मिलती है।
- ISS उभरती हुई निम्न पृथ्वी कक्षा अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जिससे निजी कंपनियों को प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने का अवसर मिलता है। यह चंद्रमा और मंगल पर भविष्य के अभियानों के लिए आवश्यक दीर्घकालिक अंतरिक्ष उड़ान का परीक्षण स्थल भी है।

स्रोत: TH

आपदा पीड़ितों की पहचान हेतु NDMA के प्रथम-बार जारी दिशानिर्देश

समाचार में

- हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने "सामूहिक मृत्यु घटनाओं" की स्थिति में पीड़ितों की पहचान हेतु देश की प्रथम मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

- भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में NDMA भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय है।
- इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत की गई थी।
- यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा-निर्देश तैयार करने तथा रोकथाम, शमन, तैयारी एवं प्रतिक्रिया की भावना को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है।

नवीनतम दिशा-निर्देश

- दिशा-निर्देशों में राष्ट्रीय दंत डेटा रजिस्ट्री बनाने की सिफारिश की गई है, ताकि दाँत और जबड़े का उपयोग पीड़ितों की पहचान में किया जा सके। साथ ही दीर्घकालिक पहचान हेतु फॉरेंसिक पुरातत्व के उपयोग की वकालत की गई है।
- इनमें हितधारकों की भूमिकाएँ, पहचान टीमों की संरचना और जनशक्ति की कमी, लॉजिस्टिक अंतराल, समन्वय समस्याएँ तथा शवों का शीघ्र विघटन या विस्थापन जैसी चुनौतियों का समाधान शामिल है।
- ये मानवीय फॉरेंसिक पर बल देते हैं, जिससे सांस्कृतिक मानदंडों के प्रति संवेदनशीलता सुनिश्चित हो और परिवारों को भावनात्मक सहयोग प्रदान किया जा सके।
- पहचान प्रक्रिया को चार चरणों में संरचित किया गया है: अवशेषों की पुनर्प्राप्ति, पोस्ट-मॉर्टम डेटा संग्रह, परिवारों से एंटे-मॉर्टम डेटा संग्रह और अवशेषों को सौंपने हेतु सामंजस्य।
- NDMA प्रत्येक राज्य में विशेषीकृत टीमों की स्थापना, विभिन्न फॉरेंसिक क्षेत्रों में विशेषज्ञों का प्रशिक्षण और दिशा-निर्देशों को युद्धस्तर पर लागू करने की योजना बना रहा है।

स्रोत: IE

भारत GenAI

समाचार में

- भारत GenAI पहल के अंतर्गत मॉडल इस माह के अंदर संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभी 22 भारतीय भाषाओं में पूर्ण किया जाएगा।

भारत GenAI क्या है?

- भारत GenAI भारत का प्रथम सरकारी स्वामित्व वाला संप्रभु *लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM)* है।
  - यह *इंडियाएआई मिशन* का एक प्रमुख परिणाम है, जिसे मार्च 2024 में प्रारंभ किया गया था।
- इसे विशेष रूप से भारतीय भाषाओं, संस्कृति और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि वैश्विक AI मॉडल मुख्यतः पश्चिमी डेटासेट पर प्रशिक्षित होते हैं।
- यह एक राष्ट्रीय आधारभूत मॉडल है, जिसका अर्थ है कि यह अनेक डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों का समर्थन कर सकता है।

स्रोत: PIB